



छत्तीसगढ़ सर्वहित अभियंता संघ

Chhattisgarh Sarvahit Abhiyanta Sangh

मुख्यालय : म.क्र. 54/88, अश्वनी नगर, महादेवघाट रोड, रायपुर, छ.ग. पिनकोड-492013

ईमेल : csabhiyantasangh@gmail.com, वेबसाइट : www.csabhiyantasangh.com

सदस्यता के लिए आवेदन-प्रपत्र (Application form for membership)

1.	Full Name (In Capital letter) :	Mr./Ms./Mrs.											
2.	Father/Husband Name :	Mr.											
3.	Date of Birth :			DD			MM					YYYY	
4.	Educational Qualification :	Paste here recent color passport photo											
5.	Name of Department and Address :												
6.	Designation :												
7.	Permanent Address :												
8.	Mobile No. :												
9.	Email_id :												
10.	Blood Group :												
11.	Category (Gen/OBC etc) :												
12.	District :												
13.	Employee Number :												
14.	Are you a member of any other association/union (Yes/No) :												
	If yes, then please mention the name of such Association/union :												
15.	Membership Fee : ₹ 1000 /- (पंजीयन शुल्क ₹ 100 /- व सदस्यता शुल्क ₹ 900 /-)												
16.	Mode of Payment (Cash/Netbanking/DD/Cheque):												
	DD/Cheque No./Netbanking Reference No. :												
	Drawn on Bank :												

घोषणा (Declaration)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दी गई विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है। छत्तीसगढ़ सर्वहित अभियंता संघ का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं/अधिकारियों के हितों की रक्षा करना एवं सदस्यों को अन्याय के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना तथा सभी सदस्यों के एकसमान पदोन्नति हेतु हरसंभव प्रयास करना है। मैंने नियमावली का अध्ययन कर लिया है एवं इसमें वर्णित नियमों के पालन हेतु मैं पूर्णतया सहमत हूँ। तथा मैं संघ द्वारा निर्धारित शुल्क देने के लिए भी सहमत हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

FOR OFFICE USE ONLY (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

M.R. No.

Date

नोट - 1. नियम 6 व 7 के अनुसार पात्र होने पर तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन पश्चात् ही सदस्यता संबंधी स्वीकृति/अस्वीकृति सूचित की जावेगी।

2. उपरोक्त आवेदन-प्रपत्र भरकर देने व सदस्यता शुल्क का भुगतान करने मात्र को ही सदस्यता प्राप्ति का अधिकार नहीं माना जावेगा।

वित्त सचिव